


285



मनिगरानी/टीकमगढ़/भू-25/2017/2272

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-टीकमगढ़

तुलसीदास कुशवाह पुत्र श्री रामदास कुशवाह, निवासी - ग्राम वासवान तहसील निवाडी, जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1- झगडू पुत्र श्री रघुवीर सिंह यादव
- 2- ग्यादीन पुत्र श्री रघुवीर सिंह यादव
निवासी - ग्राम वासवान तहसील निवाडी जिला - टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

श्री एम.एस. चव्वाहा जी.
द्वारा आज दि. 20/7/17
प्रस्तुत

20.7.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाडी जिला टीकमगढ़
द्वारा प्रकरण क्रमांक 78/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक
22.06.2015 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के
अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर

न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम वासवान में स्थित भूमि खसरा नं. 1038/2, 1038/2/1क, 1038/2/6/1, 1067, 491/1, 492/2 रकबा क्रमशः 0.849, 0.640, 0.554, 0.174, 0.141, 0.162 है0 का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जो राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 78/अ-12/2014-15 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्रवाई प्रारंभ की गयी।
2. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उसे किसी भी प्रकार से सूचना ही दी गयी। बल्कि उसके द्वारा दिनांक 17.06.2015 को एक आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा दिनांक 14.06.2015 को भूमि का सीमांकन कराया है जो सही तरीके से नहीं किया गया है क्योंकि सीमांकन मुस्तफिल चिन्ह से नहीं किया गया है एवं मेडिया कृषक तथा हितवद्ध व्यक्ति आवेदक को सुने बिना किया गया है। इसलिये उक्त सीमांकन स्वीकृत न किया जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक कि उपरोक्त आपत्ति पर लेशमात्र विचार किये बिना ही अपने पारित

20/7/17

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2272

तुलसीदास कुशवाह विरुद्ध झगडू व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक हस्ताक्षर
18-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित ।3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाड़ी जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 78/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 26-06-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी, जिला-टीकमगढ़ को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 13-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p style="text-align: center;">(आर.क. जैन) सदस्य 18/03/19</p>